

21/2/19

पत्रावली पेश हुई। लकी मय अधिवक्ता श्री एच.के.
पाँचरी उपस्थित। प्रविण्दीगल । से 3 उपस्थित।
उनकी और से अधिवक्ता श्री पुष्कर राज शर्मा ने
पञ्जलतनामा व पञ्जक पण पेश किया। साथ ही
साथ राजीनामा पेश कर लकी के लद को सही
होना स्वीकार कर लकीनी का लद डिक्ले किये जाने
लगत, उभयपक्षों ने राजीनामा पेश किया राजीनामा
दोनों पक्षों को सुनाया व समझाया गया। उन्होंने
राजीनामा सही होना स्वीकार किया जो लस्वीक
किया गया शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली का
अवलोकन किया गया लकीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के

जयराज

रतन

शैतान

Sir

14/2/19




रतन

अधिवक्ता
कादीरी

घोटी

भी साबित है। उक्त दिगति में काफ़ी का काफ़ डिक्री किये जाने
योग्य होने से निम्न आदेश पारित किये जाते हैं। काफ़ी को
राजसमन्तपुर में दिगति चण्ड ख. नं. 1584 रकबा 0.0400
किसम में मु. चण्ड का खातेदार काफ़ी काफ़ी घोषित किया जाता है। प्रति पदी
संख्या 4 वही लकार संख्या को आदेशित किया जाता है कि पत्तिका
राजसमन्तपुर अमितेश जमाबन्दी खाता संख्या 570 से प्रतिपदी गण ठे काफ़ी
विलोपित कर काफ़ी के नाम ख. नं. 1584 में मु. चण्ड रकबा 00.0400
है. दर्ज किया जावे। इस आशय का डिक्री परचा जारी किया जावे।
पत्रवली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो निर्दिष्ट आज दिनांक 2¹²/₁₉
को सरे इजलास लिखा जाकर सुनाया गया।


अखण्ड अधिकारी
सत्वाड (अजमेर)

